

प्रेषक,
संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

39
22-12-11

सेवा में,
निबंधक,
सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ :: दिनांक :: 10 अक्टूबर, 2011.

अ-निदेशक (उप०)

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष, 2011-12 के अंतर्गत सहकारी समितियों में पैक्स एकाउंटिंग एवं एस०एम०एस० एलर्ट सिस्टम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

निवेशक
10-10-11

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक, उ०प्र० को सम्बोधित कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2090/12-3-11-100(13)/2011 टी०सी०, दिनांक 25-7-2011 के संदर्भ में कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्रांक भू०सं०/349/रा०कृ०वि०यो०/लेखा-27/2011-12, दिनांक 27-7-2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु रू० 9,51,18,000/- (नौ करोड़ इक्यावन लाख अट्ठारह हजार) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सं० नि० (उप०)

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीर्ष सहकारी संस्थाओं में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य करने हेतु शासनादेश संख्या-864/49-3-2005-88/2003, दिनांक 23-3-2005 द्वारा उ०प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि०, लखनऊ का नोडल संस्था नामित किया गया है, तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० के पत्रांक 3661/उ०प्र०स०स०/कृ०प्र०/2011-12, दिनांक 9-9-2011 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानसार उक्त संघ आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों /प्राविधानों के अनुसार कम्प्यूटराइजेशन का कार्य शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार एक कमेटी का गठन करके उसके माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। उक्त के सम्बंध में आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा अनापत्ति व्यक्त करते हुये आई०टी० अप्लीकेशन/एस०एम०एस० एलर्ट सिस्टम एवं हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय की कार्यवाही आई०टी० विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये करने का परामर्श दिया गया है।

सं० नि० (उप०)
11/10/11
प्र० (उप०)

सि० नि० (उप०)
17/10/2011


3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ के संदर्भित के पत्र दिनांक 9-9-2011 में अंकित प्रस्तावानुसार कृषि विभाग के संदर्भित शासनादेश दिनांक 25-7-2011 एवं कृषि निदेशक, उ०प्र० के पत्र दिनांक 27-7-2011 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों/नियमों तथा आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के उक्त के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतया एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये सहकारी समितियों में पैक्स एकाउंटिंग एवं एस०एम०एस० एलर्ट सिस्टम के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्यवाही उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० लखनऊ के माध्यम से नियमानुसार कराने का कष्ट करें।

सं० नि० (उप०)
26/12/11

67
27/12/2011
26/12/11

4- यह आदेश आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग से प्राप्त उनकी सहमति/परामर्श के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-2371(1)/49-3-2011-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग (अनुभाग-3), उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- वेब मास्टर, कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियों, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से


(राकेश कुमार)
उप सचिव।